R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part IInd
Paper- Ist Family Law
Muslim Law

बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 1929, यथा 1978 में संशोधित

बाल-विवाह के अनुष्ठान का अवरोध करने के लिए अधिनियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 कहा जा सकेगा।

2. इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर तथा परे, भारत के सभी नागरिकों को भी लागू है। परंतु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होगी।

(3) यह अप्रैल 1930 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा

2. परिभाषाएँ—

इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो—

(क) "बाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदि पुरुष हो तो 21 वर्ष से कम आयु का हो और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु की हो,

Scanned with CamScanner

(ख) "बाल विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है, जिसके बन्धन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई भी बालक हो।

(ग) विवाह के "बन्धन में आने वाले पक्षकार" से पक्षकारों में से कोई भी जिसका विवाह का एतद्द्वारा अनुष्ठान किया जाय या किया जाने वाला हो अभिप्रेत है। तथा

(घ) "अवयस्क" से किसी भी लिंग का व्यक्ति जो अठारह वर्ष की आयु से कम का हो, अभिप्रेत है।

3. बाल विवाह करने वाले इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुष वयस्क के लिए दण्ड—

जो कोई इक्कीस वर्ष कम आयु का पुरुष या अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए बाल विवाह करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

4. बाल विवाह करने वाले इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क के लिए दण्ड—

जो कोई इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होते हुए बाल विवाह करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

5. बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड—

जो कोई बाल विवाह

संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं था, सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

6. बाल विवाह से सम्बद्ध माता-पिता या संरक्षक के लिए दण्ड -

जहाँ कोई भी अवयस्क बाल-विवाह के बन्धन में आता है, वहाँ चाहे माता पिता अथवा संरक्षक के रूप में या अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत से अवयस्क की देख रेख करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विवाह को उत्प्रेरित करने के लिए कोई अन्य कार्य करेगा या उसका अनुष्ठान किया जाना अनुज्ञात करेगा या उसके अनुष्ठान का निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की होगी दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई महिला कारावास से दण्डनीय न होगी।

जहाँ कोई अवयस्क बाल विवाह के बन्धन में आता है, वहाँ यदि और जब तक प्रतिकूल बात साबित न कर दी जाय, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी की ऐसे अवयस्क की देख-रेख

Scanned with CamScanner

करने वाला व्यक्ति की अनुकूलता सिफारिश करने में बोधाप्रतिक आकांक्षा रहा है।

(ग) अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना;-

इस अधिनियम के अधीन अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसे लागू होगी मानो वे निम्नलिखित प्रयोजनार्थ संज्ञेय अपराध हो -

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, तथा

(ख) ऐसे विषयों के प्रयोजन के लिए जो (i) उस संहिता की धारा-42 में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न हो और (ii) वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न हो, एक वर्ष की समाप्ति पर होगा।

8. इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता:-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 150 में किसी बात के होते हुए भी महानगरी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचार नहीं करेगा।

9. अपराधों का संज्ञान करने की रीति-

कोई न्यायालय अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान या विचार नहीं करेगा।

10. अपराधों की प्रारम्भिक जाँच-

कोई न्यायालय ऐसे अपराध

Scanned with CamScanner

का परिवाद प्राप्त होने पर जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है यदि, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दे तो इस संहिता की धारा 202 के अधीन स्वयं जाँच करेगा या अपने अधिनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी जाँच करने का निर्देश देगा।

11. निरसन :- बाल विवाह निषेध अधिनियम 1949 द्वारा निरसन होगा।

12. इस अधिनियम के उल्लंघन में किए जाने वाले विवाह का प्रतिषेध करने वाला आदेश निकालने की शक्ति—

(1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी न्यायालय यदि उसके समक्ष परिवाद द्वारा या अन्यथा लाई गई जानकारी से उसका समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी बाल विवाह का इंतजाम हो गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो वह इस अधिनियम की धारा-3, 4, 5 और 6 में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध विवाह का प्रतिषेध करने वाला आदेश निकाल सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश कोई व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को पूर्व में सूचना दे दी हो और उसे आदेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया हो।

Scanned with CamScanner

(3) न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश को स्वप्रेरणा पर या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा।

(4) जहाँ कोई ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, वहाँ न्यायालय अपने समक्ष आवेदक को स्वयं या प्लीडर द्वारा उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा और यदि न्यायालय आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध इस धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश निकाला गया है, उस आदेश की अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपया तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। परंतु कोई महिला कारावास से दण्डनीय न होगी।

Scanned with CamScanner